1. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 की धारा 5

चालू खाता लेनदेन

कोई भी व्यक्ति किसी प्राधिकृत व्यक्ति को विदेशी मुद्रा बेच सकता है अथवा उससे आहरित कर सकता है यदि ऐसी बिक्री अथवा आहरण चालू खाता लेन-देन है।

बशर्ते लोक हित में और रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार चालू खाता लेनदेनों के लिए ऐसे यथोचित प्रतिबंध , जैसा कि निर्धारित किया जाए, लगाए।***(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 1.1)***

2. एफईएम (सीएटी) नियमावली, 2000 का नियम 3

विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध- निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा के आहरण पर प्रतिबंध है अर्थात :-

(ए) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेन-देन ; अथवा (बी) नेपाल और / अथवा भूटान की यात्रा अथवा (सी) नेपाल अथवा भूटान में किसी निवासी व्यक्ति के साथ लेनदेन; बशर्ते, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा अनुबद्ध शर्तों के अधीन, जैसा वह आवश्यक समझे, खंड(सी) के प्रतिबंध में छूट दी जाए।***(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 1.4)***

3. फेमा, 1999 की धारा 10 की उप-धारा (5)

किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने से पहले किसी प्राधिकृत व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उस व्यक्ति से ऐसी घोषणा करने को कहे और ऐसी जानकारी देने को कहे जो उसे पर्याप्त रूप से संतुष्ट कर सके कि लेनदेन इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए किसी नियम,नियमावली,अधिसूचना,निदेश अथवा आदेश के उल्लंघन अथवा अपवंचन में शामिल नहीं होगा और जहां उपर्युक्त व्यक्ति ऐसी किसी अपेक्षा के अनुपालन से इंकार करता है अथवा उसका केवल असंतोषजनक अनुपालन करता है,तो प्राधिकृत व्यक्ति लेनदेन करने से लिखित रूप में मना करेगा और यदि उसे विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त कोई ऐसा उल्लंघन अथवा अपवंचन करने का इरादा है तो उसकी जानकारी रिज़र्व बैंक को दी जाए। ***(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 14.1)***